



Neutral Citation No. - 2026:AHC:65786

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 52010/2025

ईश्वर चंद्र और अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : काली चरण यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 81

माननीय न्यायमूर्ति चवन प्रकाश

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री काली चरण यादव और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. यह अर्जी बीएनएसएस की धारा 528 के तहत, शिकायत वाद संख्या 9061/2020 (अख्तरुन्निसा बनाम राम चंद्र और अन्य) की पूरी कार्यवाही और बस्ती की न्यायालय संख्या 13 के न्यायिक मजिस्ट्रेट-II द्वारा 5.5.2025 को जारी समन आदेश आईपीसी की धारा 323, 504, 506 के तहत; थाना गौर, जिला-बस्ती को रद्द करने के लिए दायर की गई है। यह वाद बस्ती की न्यायालय संख्या 13 के न्यायिक मजिस्ट्रेट-II की अदालत में चल रहा है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. याचिकाकर्ताओं के वकील का कहना है कि 12.02.2020 को, दूसरी पार्टी (विपक्षी) नंबर 2 ने याचिकाकर्ताओं और अन्य सह-आरोपियों के खिलाफ सीआर.पी.सी. की धारा 156(3) के तहत एक अर्जी दी। इसमें आरोप लगाया गया कि 02.02.2020 को, आरोपी प्रकाश ने लकड़ी की बाड़ को उखाड़ना और फेंकना शुरू कर दिया। जब दूसरी पार्टी नंबर 2 ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों—राम चंद्र, बुद्धिराम, कुसुम, दौजे और ईश्वर चंद्र—ने उसे गालियां दीं और घूंसे व लाठियों से मारपीट की। मजिस्ट्रेट ने उस अर्जी को एक शिकायत मामले के तौर पर लिया। आगे यह भी कहा गया है कि कथित घटना 02.02.2020 को हुई थी, जबकि अर्जी 10.02.2020 को दी गई थी। निचली अदालत ने उस अर्जी को शिकायत मामले के तौर पर लिया। आगे यह भी बताया गया कि शिकायतकर्ता का बयान सीआर.पी.सी. की धारा 200 के तहत दर्ज किया गया, और उसके गवाहों—सैदा हुसैन और राम प्रकाश—के बयान सीआर.पी.सी. की धारा 202 के तहत दर्ज किए गए। इसके बाद, मजिस्ट्रेट ने मौजूदा याचिकाकर्ताओं और अन्य लोगों को आई.पी.सी. की धाराओं 323, 504 और 506 के तहत समन जारी किया। इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि असल में, 02.02.2020 को दूसरी पार्टी नंबर 2/शिकायतकर्ता सह-आरोपी राम चंद्र के घर जाने वाले सार्वजनिक रास्ते पर कब्जा करने की कोशिश कर रही थी। जब राम चंद्र और उनके परिवार के सदस्यों ने इस हरकत का विरोध किया, तो शिकायतकर्ता और उसके पति ने राम चंद्र के साथ मारपीट की। इस संबंध में, राम चंद्री पत्नी ने बस्ती ज़िले के गौर पुलिस स्टेशन में आई.पी.सी. की धाराओं 323 और 504 के तहत एक एन.सी.आर (एन.सी.आर. संख्या 07/2020) दर्ज कराई थी। इसके अलावा, यह कहा गया है कि मौजूदा शिकायत का मामला विपक्षी पार्टी नंबर 2 द्वारा पहले दर्ज कराई गई एनसीआर के जवाब में और आवेदकों को परेशान करने और उन पर दबाव डालने के गलत मकसद से शुरू किया गया है। यह कहा गया है कि विपक्षी पार्टी नंबर 2 ने आवेदकों के खिलाफ झूठी और बेबुनियाद शिकायत दर्ज

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



कराई है, जबकि जैसा आरोप लगाया गया है, वैसी कोई घटना कभी हुई ही नहीं। यह तर्क दिया गया है कि पहली नज़र में आवेदकों के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। विद्वान मजिस्ट्रेट मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ठीक से समझने में विफल रहे और न्यायिक सोच का सही इस्तेमाल किए बिना समन जारी करने का आदेश देकर स्पष्ट रूप से गैर-कानूनी काम किया। इसलिए, यह आदेश स्पष्ट रूप से गैर-कानूनी है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

4. इसके उलट, विद्वान एजीए ने आवेदकों की ओर से दी गई दलीलों का विरोध किया है। उनका कहना है कि विपक्षी नंबर 2 ने सीआर.पी.सी. की धारा 156(3) के तहत एक अर्जी दाखिल की थी, जिसे शिकायत मामले के तौर पर माना गया है। आगे यह भी कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने अर्जी में पूरी घटना का ब्यौरा दिया है और सीआर.पी.सी. की धारा 200 के तहत दर्ज अपने बयान में इसका समर्थन किया है; साथ ही, उनके गवाहों ने भी सीआर.पी.सी. की धारा 202 के तहत दर्ज अपने बयानों में अभियोजन पक्ष की बात का समर्थन किया है। अर्जी और सीआर.पी.सी. की धारा 200 और 202 के तहत दर्ज बयानों, और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर, विद्वान मजिस्ट्रेट ने आवेदकों को सही तरीके से समन जारी किया है। इसलिए, इस अर्जी को खारिज किया जाना चाहिए।

5. इस मामले के तथ्यों से पता चलता है कि आवेदकों पर आरोप है कि 02.02.2020 को आरोपी प्रकाश ने लकड़ी की बाड़ को उखाड़कर फेंकना शुरू कर दिया। जब दूसरी पार्टी (विपक्षी संख्या 2) ने इस विरोध किया, तो आरोपियों—राम चंद्र, बुद्धीराम, कुसुम, दौजे और ईश्वर चंद्र—ने उसे गालियां दीं और घूंसे व लाठियों से मारपीट की। विद्वान मजिस्ट्रेट ने इस आवेदन को शिकायत मामले के तौर पर लिया। शिकायतकर्ता का बयान सीआर.पी.सी. की धारा 200 के तहत दर्ज किया गया, और गवाहों—सैदा हुसैन और राम प्रकाश—के बयान सीआर.पी.सी. की धारा 202 के तहत दर्ज किए गए। विद्वान

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



मजिस्ट्रेट ने यह राय बनाई कि आवेदकों के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध बनता है और आई.पी.सी. की धाराओं 323, 504 और 506 के तहत आवेदकों को समन जारी किया।

6. अभिलेख पर मौजूद सामग्री और इस चरण पर मामले के तथ्यों को देखने के बाद, यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदकों के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। वकीलों की सभी दलीलें तथ्यों के विवादित सवालों से जुड़ी हैं, जिन पर यह कोर्ट सीआर.पी.सी. की धारा 482 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए फैसला नहीं कर सकता। इस चरण पर केवल प्रथम दृष्टया मामले को देखना है और यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर.पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य (ए.आई.आर. 1960 एस.सी. 866), हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल (1992 एससीसी (क्रि.) 426), बिहार राज्य बनाम पी.पी. शर्मा (1992 एससीसी (क्रि.) 192) और आखिर में जंजू फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड बनाम मो. सराफुल हक और अन्य (पैरा-10) (2005 एससीसी (क्रि.) 283) के मामलों में तय किए गए कानून के आधार पर देखा जाना है। इस चरण पर आरोपी के विवादित बचाव पर विचार नहीं किया जा सकता।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, मुझे उक्त मामले को रद्द करने का कोई आधार नहीं दिखता; इसलिए, इसे रद्द करने का अनुरोध अस्वीकार किया जाता है।

8. तदनुसार, आवेदन **खारिज** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति चवन प्रकाश)

30 मार्च 2026

मो0 फैजल

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”